

Summary Trial Under Section 263 or 264 of The Criminal
Procedure Code, 1889

In The Court of Amogh Agarwal J M F C Rajnagar Distt. Chhatarpur M.P.
CNR No. MP16090013032022
Case No SUM/197/2022 Compliant or report made on. 01-10-2022
Filing No. SUM/1221/2022 Crime No.281/22
Name of address of the complainant

म.प्र. शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र खजुराहो

Name , parentage, caste and address of accused

1.	नाम—	चंदन सिंह बुन्देला
	पिता का नाम—	मुन्ना राजा बुन्देला
	उम्र —	19 वर्ष
	निवासी —	निवासी— प्रेम नगर कॉलोनी खजुराहो थाना खजुराहो जिला छतरपुर म0प्र0

The offence complained of, and date of its alleged commission

1. आप आरोपी ने दिनांक 01.10.2022 को समय दोपहर 11:45 बजे से 12:00 बजे के मध्य स्थान आम रोड प्रेमनगर कॉलोनी, खजुराहो पर 3.240 लीटर देशी मदिरा प्लेन सफेद कीमती 1800/— रुपये अपने अवैध आधिपत्य में बिना किसी वैध अनुज्ञापत्र के रखे हुए पाये गये।

आपका उक्त कृत्य म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1-ए) के अंतर्गत दण्डनीय होकर इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। क्या आप अपने दोषी होने का अभिवचन करते हो अथवा विचारण चाहते हो।

Amogh Agarwal
J M F C Rajnagar

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है।

Amogh Agarwal
J M F C Rajnagar

The offence proved, if any, and in case under clause (d), clause (e) clause (f) or clause (g), of Sub-section (i) section 260, the value of the property in respect of which the offence has been committed.

निर्णय

(आज दिनांक 20.10.2022 को घोषित)

1. अभियुक्त द्वारा की गई स्वेच्छया अपराध स्वीकारोंकित के आधार पर उसे म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1-ए) अपराध में दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
2. प्रकरण की परिस्थितियों एवं किए गये अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को दोष सिद्ध पाये जाने से आरोपी को 3600/- रुपये के अर्थदंड तथा न्यायालय उठने तक के कारावास से दंडित किया जाता है। अभियुक्त को 07 दिवस का कारावास भुगताया जावेगा।
3. प्रकरण में जप्तशुदा 3.240 लीटर देशी मदिरा प्लेन शराब की, मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुलें न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया।

(अमोघ अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
राजनगर, छतरपुर, (म0प्र0)

(अमोघ अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
राजनगर, छतरपुर, (म0प्र0)